न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 03/2021 (जी.सी.एम.एस. 2021/1)

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. अजायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।	1. दिलावर सिंह पुत्र सवत्र सिंह जटसिख निवासी मक्कासर तहसील हनुमानगढ। 2. मनजीत कौर उर्फ भोली पुत्र सवत्र सिंह पत्नी हरभजन सिंह जटसिख निवासी थेहकलंधर तहसील फाज्लिका पंजाब 3. बलवीर कौर उर्फ वीरां पुत्री सवत्र सिंह पत्नी निरंजन सिह जटसिख निवासी 20 एबी तहसील अनूपगढ। 4. नसीब कौर उर्फ कौडी पुत्री सवत्र सिंह पत्नी धर्म सिंह जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर(मृतक) 4/1 अमरजीत कौर पत्नी शमीर सिंह जटसिख निवासी 41 पी एस तहसील रायसिंहनगर। 4/2 बलजीत कौर पुत्र धर्म सिंह जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर। 4/3 रणजीत सिंह पुत्र धर्म सिंह जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर। 4/4 रानी पत्नी परमजीत सिंह जटसिख निवासी लालगढ तहसील श्रीगंगानगर। 5. सुरजन सिंह पुत्र सवत्र सिंह जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीगंगानगर(मृतक) 5/1 नाजम सिह पुत्र सुरजन सिंह जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 5/1/1 परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिह जटसिख निवासी 6 वीं धनूर। 5/1/2 संदीप कौर पुत्री नाजम सिंह पत्नी विश्वजीत सिंह जटसिख निवासी 2 टी जोधेवाला 5/1/3 जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 5/1/4 हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिह जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 6. वीरपाल कौर पुत्री सुरजन सिंह पत्नी जज सिंह जटसिख निवासी चोहूवाली तहसील टिब्बी। 7. नायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 08.01.2021

उपस्थित: 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू, अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 4/1 ता 4/4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

—निर्णय—

दिनांकः 05.04.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 133/49 में 8.120 हेक्टेयर, खाता संख्या 20/18 में 1784/17703 हिस्सा व खाता संख्या 118/118 में 0.051 हेक्टेयर, नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 दिलावर सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पूर्व में दिलावर सिंह के पिता सवत्र सिंह पुत्र भगवान सिंह के नाम दर्ज थी। सवत्र सिंह को उक्त कृषि भूमि अपने पिता भगवान सिंह से विरासतन प्राप्त हुई थी। इस प्रकार उक्त सम्पति सवत्र सिंह की स्वअर्जित सम्पति न होकर संयुक्त हिन्दू खानदान की पैतृक सम्पति की श्रेणी में आती थी। खाता संख्या 59 में दर्ज 74 बीघा 18 बिस्वा नहरी कृषि भूमि में से सवत्र सिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज था। सवत्र सिंह के कुल 5 उत्तराधिकारी सुरजन सिंह, दिलावर सिंह, मनजीत कौर, उर्फ कौडी, मनजीत कौर उर्फ भोली, बलबीर कौर उर्फ बीरा थे तथा सवत्र सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके नाम दर्ज कृषि भूमि उनके उक्त पांच विधिक उत्तराधिकारियों के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 दिलावर सिंह ने शेष वारिसान का हिस्सा हड़पने के लिए फर्जी व कूटरचित वसीयत तैयार करवाकर सवत्र सिंह के नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि जरिये विरास्तन नामातरण संख्या 161 दिनांक 04.10.1994 को दर्ज करवा लिया। नामातरण की कार्यवाही के दौरान तत्कालीन पटवारी हलका द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट दी गई कि उक्त सम्पति वसीयतकर्ता की स्वयअर्जित सम्पति नहीं है। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 दिलावर सिंह द्वारा धोखा से उक्त वसीयत का नामातरण अपने नाम दर्ज करवा लिया। जबकि उक्त सम्पति पर आज भी सवत्र सिंह के शेष वारिसान का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी सवत्र सिंह के पुत्र सुरजन सिंह की संतान है। सुरजन सिंह का देहांत हो चुका है। सुरजन सिंह का सवत्र सिंह की प्रश्नगत सम्पति में से शेष 4 वारिसान के साथ 1/5 हिस्सा बनता है। प्रार्थी द्वार पूर्व में समय-समय पर अप्रार्थी संख्या 1 को इस संबध में निवेदन किया गया है। कि आपने हमारे पूर्वजो की सम्पति को धोखे से अपने नाम करवा रखी है। जिसमें सवत्र सिंह के शेष वारिसान का भी हक व हिस्सा बनता है तथा आप अपने नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि को सवत्र सिंह के शेष वारिसान के नाम उनके हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा देवे, तो अप्रार्थी संख्या 1 टाल-मटोल करता रहा। आज से कुछ दिन पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि को विक्रय करने की फिराक में है। इस बात की जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने उनसे मुलाकात कर इस संबध में आपति जाहिर की तो दिलावर सिंह ने स्पष्ट कहा ि कवह तो अपने नाम राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर उक्त भूमि जल्द ही किसी अन्य व्यक्ति को बेच देगा। इस प्रकार स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प प्रार्थी के पास शेष नही रहा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 133/49, खाता संख्या 20/18 व खाता संख्या 118/118 में दर्ज कुल कृषि भूमि के संबध में रिकॉर्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखे तथा उक्त प्रश्नगत सम्पति को किसी प्रकार से हस्तांतरित करने से निषेध रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 4/1 ता 4/4 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 5/1/1, 5/1/2, 5/1/3, 5/1/4, 5, 6 बाद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार मुझ अप्रार्थी को भूमि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

RTA

इन्तकाल प्राप्त नही हुई है। मुझ अप्रार्थी को भूमि मेरे पिता द्वारा जरिये वसीयत से प्राप्त हुई है।
इसलिए वसीयत मे प्राप्त हुई भूमि जद्दी जायदाद की तारीफ मे नही आती है, इसलिए उक्त भूमि
में प्रार्थी एंव प्रार्थी के परिवार का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। खाता संख्या 59 मे 74 बीघा
18 बिस्वा नहरी भूमि मे सवत्र सिंह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज थी। यह बात सही है कि
सवत्र सिंह के कुल 5 वारिस थे। यह बात गलत है कि सवत्र सिंह की मृत्यू के बाद पांच वारिस
के नाम विरास्तन दर्ज होनी चाहिए थी। सही बात यह है कि खाता संख्या 59 मे 74 बीघा 18
बिस्वा भूमि सवत्र सिंह के पिता भगवान सिंह के नाम दर्ज थी। भगवान सिंह के तीन लडकियां
हरकौर, गुरदयाल कौर, छानो व पुत्र सवत्र सिंह, इस प्रकार 4 वारिस थे। भगवान सिह ने अपने
जीवनकाल मे अपनी समस्त भूम मे से 1/2 यानि 35 बीघा भूमि तीनों लडकियों को बहिस्सा
बराबर दे दी थी और 35 बीघा भूमि अपने लडके सवत्र सिंह को दे दी थी। गुरदयाल कौर व
छानो दोनो बहनों की शादी हुई थी। व हरकौर की शादी नही हुई थी। इसलिए दोनो बहनों
गुरदयाल कौर व छानो ने अपना हक हरकौर को छोड दिया। अब हरकौर के नाम 35 बीघा भूमि
दर्ज हो गई। हरकौर की शादी नहीं हुई थी। वह मुझ अप्रार्थी के पास ही रहती थी। अब भगवान
सिंह की कुल 74 बीघा 18 बिस्वा भूमि लडकी हरकौर व लडका सवत्र सिंह दोनों के नाम दर्ज हो
गई। सवत्र सिंह के दो लडके सुरजन सिंह व अप्रार्थी दिलावर सिंह व तीन लडकिया थी। सवत्र
सिंह की तीनों लडकियों की शादी कर दी गई थी। उनका हिस्सा उनकी शादी मे दे दिया गया था।
सुरजन सिंह परिवार का मुखिया व सरंपच था। उसने हरकौर की मृत्यू के पश्चात सरकारी
कर्मचारियों से अपने लडके नायब सिंह, अजायब सिह के साथ मिलीभगत करके हरकौर की भूमि
अकेले हडपने के लिए हरकौर की मृत्यू के पश्चात हरकौर की फर्जी वसीयत बनाकर भूमि अपने
लडके अजायब सिंह व नायब सिंह के हक मे करवा ली थी। और हकरकौर की तमाम भूमि 35
बीघा भूमि जरिए वसीयत इन्तकाल संख्या 127 दिनांक 18.09.1990 को प्रार्थी एंव उसके भाई
नायब सिंह के हक में दर्ज हुई। जबकि मुझ अप्रार्थी की बुआ हकरकौर द्वारा दिनांक 15.01.
1982 को कोई वसीयत नहीं की गई थी। प्रार्थी एवं उसके भाई एंव पिता ने मुझ अप्रार्थी का हक
व हिस्सा हडपने के लिए तथाकथित वसीयत दिनांक 15.01.1982 फर्जी व कूटरचित तैयार की।
इसलिए इन्तकाल संख्या 127 काबिले खारिज है। भगवान सिंह की 74 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर
सुरजन सिंह व दिलावर सिंह का बराबर बंटवारा कर कब्जा था। क्योंकि हरकौर अप्रार्थी संख्या 1
एंव प्रार्थी के पिता की सगी बुआ थी, जो अप्रार्थी के साथ रहती थी। उसने अपने जीवनकाल मे
कोई वसीतय नहीं की थी। जब हरकौर की भूमि की वसीयत का पता अप्रार्थी को चला तो अप्रार्थी
ने पंचायत की । तब परिवार की सहमति व राजीनामा के आधार पर दिलावर सिंह को उसके
हिस्सा की भूमि देने के लिए सवत्र सिंह ने अपने नाम की 35 बीघा भूमि की वसीयत दिलावर
सिंह के हक में कर दी थी। जिसका इन्तकाल संख्या 161 दिनांक 04.10.1994 को मुझ अप्रार्थी
संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ। जो कानूनी रूप से सही व वैध है। मुझ अप्रार्थी को भूमि जरिए
वसीयत अपने पिता से प्राप्त हुई है। इसलिए यह भूमि जद्दी जायदाद की तारीफ मे नही है। यह
मुझ अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है। उक्त भूमि प्रार्थी एंव उसके परिवार का कोई हक एंव हिस्सा
नहीं बनता है। प्रार्थी द्वारा वसीयत को फर्जी एवं कूटरचित बताया गया है। यदि प्रार्थी को वसीयत
फर्जी एंव कूटरचित घोषित करवाना है तो प्रार्थना पत्र सिविल न्यायालय मे प्रस्तुत करना चाहिए
था। भगवान सिंह की 74 बीघा 18 बिस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा दिलावर सिंह के नाम दर्ज हुआ
है। नायब सिंह व अजायब सिंह की वसीयत तस्दीक प्रार्थी के पिता सुरजन सिंह द्वारा की गई,
क्योंकि वह तत्कालीन सरपंच था। भगवान सिंह की भूमि मे से 1/2 हिस्सा सुरजन सिंह के लडके
नायब सिंह, अजायब सिंह के नाम दर्ज, 1/2 हिस्सा दिलावर सिंह के नाम दर्ज हुई। दोनो
परिवारों का सवत्र सिंह के जीवनकाल से लेकर आज तक अपनी-अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक
कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी दौरान प्रार्थी अजायब सिंह ने पुराने कब्जा के आधार पर
सहमति से भूमि का बंटवारा का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे अनवान अजायब सिंह बनाम

[illegible] दिलावर सिंह प्रकरण संख्या 88/2020 निर्णय दिनांक 13.0? 2020 को डिक्री करवा लिया। उक्त डिक्री एक षड्यन्त्र व माननीय न्यायालय को गुमराह करके सही तथ्य नहीं बताकर अप्रार्थी को परेशान करने के लिए पेश किया गया है। प्रार्थी सुरजन सिंह की संतान है। सुरजन सिंह की मृत्यु हो चुकी है। मुझ अप्रार्थी को भूमि मेरे पिता सवन सिंह से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। उक्त वसीयत का इन्तकाल भी प्रार्थी के पिता सुरजन सिंह जो उस समय सरपंच था, उसी के कार्यकाल में दर्ज हुआ था। अब प्रार्थी द्वारा भूमि का बंटवारा करवाया गया है। अब प्रार्थी प्रार्थी बेबुनियाद है। हमारा कब्जा एंव हिस्सा सही मानकर प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय प्रार्थना पत्र डिक्री करवाया है। अब प्रार्थी ने 30 वर्ष बाद भूमि मुझ अप्रार्थी के नाम दर्ज होने के बाद उक्त प्रार्थना पत्र मनगढ़ंत तथ्यों के आधार एंव गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि हमारे पिता द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी स्वतंत्र सहमति व रूबरू गवाहन हमारे भाई/मामा दिलावर सिंह को जरिये वसीयत दी थी, तभी से लेकर दिलावर सिंह का भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि में प्रार्थी व उसके परिवार का कोई हक नहीं बनता है। सवन सिंह के पांच वारिस थे, सवन सिंह ने अपने जीवनकाल में हमें अपना हक दे दिया था। सवन सिंह हमारे भाई/मामा अप्रार्थी दिलावर सिंह के पास गांव मक्कासर तहसील हनुमानगढ़ में रहता था। उसकी सेवा संभाल अन्तिम सांस तक दिलावर सिंह ने की थी, उनकी मृत्यु भी दिलावर सिंह के पास मक्कासर में हुई थी। प्रार्थी के पिता सुरजन को पहले भूमि दे दी थी। वह अलग 6 डी धनूर में रहता था। इसलिए हम अप्रार्थीगण के पिता /नाना ने अपनी स्वतंत्र इच्छा व पूर्ण होश हवास में अपनी तमाम भूमि की वसीयत दिलावर सिंह के हक में की थी। उक्त भूमि का दिलावर सिंह ही मालिक था। सुरजन सिंह का हक एंव हिस्सा प्रार्थी एंव उसके भाई नायब सिंह को दे दिया था। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 209, 212 आरटीए सहपठित धारा 151 दीवानी प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रार्थी की ओर से दिनांक 08.01.2021 को माननीय न्यायालय के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसको माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 08.01.2021 को इस आशय की अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई कि अप्रार्थी संख्या 1 दिलावर सिंह आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.02.2021 तक चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 133/49 के मुरब्बा नम्बर 29, 39 व खाता संख्या 20/18 के मुरब्बा नम्बर 13,34,47,48,49,51,60/41, 60/43 व खाता संख्या 118/118 के मुरब्बा नम्बर 29 की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिसकी पालना प्रार्थी द्वारा ससम्मान करते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपने दीर्घ व अनवरत कब्जा काश्त को शांतिपूर्वक कायम रखा है। अप्रार्थी को भी उक्त आदेशों की जानकारी भलीभांति है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी व उसके पुत्र गुरजीत सिंह ने अन्य व्यक्तियों की सहायता से दिनांक 25.04.2021 को प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 13,14,15,16,17,18,23,24,25 पर अवैध रूप से बलपूर्वक कब्जा करने के आशय से, प्रार्थी द्वारा काश्त की गई गेहूं की फसल, तूड़ी को जॉनडियर टैक्ट्रर से नष्ट कर दिया। पुलिस थाना केसरीसिंहपुर में अप्रार्थी, उसके पुत्र व अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिक संख्या 67/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 447, 427, 143 भा.द.स. दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी व उसका पुत्र थाना में सरेआम कह रहे थे कि कब्जा के संबध में कोई स्थगन आदेश नहीं है। वह आईन्दा उक्त भूमि पर पूरी ताकत के साथ कब्जा करने आयेगें। स्थगन प्रार्थन पत्र के अनुतोष में पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

संबध मे रिकॉर्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष चाहा गया था, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड मे यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किए गए। अप्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन, गैर कानूनी तरीके से, बलपूर्वक, लडाई-झगडे पर आमादा होकर कब्जा करने की फिराक मे है। इस कारण मूलवाद के निस्तारण तक प्रश्नगत कृषि भूमि के प्रार्थी के कब्जा काश्त के संबध मे एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जाने न्यायहित मे अति आवश्यक है। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार दिलावर सिंह का अपनी भूमि पर लगातार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा था। प्रार्थी दिलावर सिंह की भूमि पर झूठा स्थगन दिखाकर कब्जा करना चाहता था। जिसका वह अधिकारी नहीं है। क्योकि भूमि दिलावर सिंह के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। पानी की पर्ची व मामले भी दिलावर सिंह द्वारा दिया जा रहा है। यह कहना गलत है कि अप्रार्थी व उसके पुत्र गुरजीत सिह ने अन्य व्यक्तियों की सहायता से दिनांक 25.04.2021 को मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 13,14,15,16,17,18,23,24,25 पर अवैध से कब्जा किया हो। यह कहना भी गलत है कि अप्रार्थी ने फसल को नष्ट किया हो। उक्त भूमि प्रार्थी की भूमि है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्राथमिकी संख्या 67/2021 अन्तर्गत धारा 447,427,143 आईपीसी दर्ज हुई थी। परन्तु उक्त प्रार्थी द्वारा झूठा प्रार्थना पत्र पेश कर व राजनीति के दबाव के चलते उक्त प्रार्थना पत्र पुलिस द्वारा हम अप्रार्थीगण के विरुद्ध झूठा दर्ज किया था। बाद तफ्तीश मे पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण को झूठा मानते हुए प्रकरण दिनांक 30.11.2021 को एफ आर न्यायालय एसीजेएम साहब श्रीकरणपुर में पेश कर दी है। उक्त भूमि मुझ अप्रार्थी के नाम बतौर खातेदार दर्ज है, और कब्जा काश्त भी मुझ अप्रार्थी का चला आ रहा है। उक्त भूमि पर कब्जा भी प्रार्थी ने माना जिसका घरेलू बंटवारानामा भी दिनांक 30.04.2021 को हुआ था उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। उक्त प्रार्थना अन्तर्गत धारा 209, 212 आरटीए सहपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.04.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 209, 212 आरटीए सहपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता भली-भांति साबित नही होने पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। उस पर मनन किया, गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव संलग्न दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र एंव संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन कर हम प्रकरण को निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर निर्णीत करना विधिसंगत समझते है:-

1.प्रथम दृष्टया मामलाः- इसका अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे कथन किया गया है कि चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 133/49 में 8.120 हेक्टैयर, खाता संख्या 20/18 में 1784/17703 हिस्सा व खाता संख्या 118/118 में 0.051 हेक्टैयर, कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 दिलावर सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पूर्व में दिलावर सिंह के पिता सवत्र सिंह पुत्र भगवान सिंह के नाम दर्ज थी। सवत्र सिंह को उक्त कृषि भूमि अपने पिता भगवान सिंह से विरासतन प्राप्त हुई थी। इस प्रकार उक्त सम्पति सवत्र सिंह की स्वअर्जित सम्पति न होकर संयुक्त हिन्दू खानदान की पैतृक सम्पति की श्रेणी में आती थी। खाता संख्या 59 में दर्ज 74 बीघा 18 बिस्वा नहरी कृषि भूमि में से सवत्र सिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज था। सवत्र सिंह के कुल 5 उतराधिकारी सुरजन सिंह, दिलावर सिंह, नसीब कौर, उर्फ कीडी, मनजीत कौर उर्फ भोली, बलवीर कौर उर्फ बीरा थे तथा सवत्र सिंह की मृत्यू के पश्चात उनके नाम दर्ज कृषि भूमि उनके उक्त पांच विधिक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उत्तराधिकारियों के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होनी चाहिए थी सवत्र सिंह की मृत्यू के पश्चात उनके नाम दर्ज कृषि भूमि उनके उक्त पांच विधिक उत्तराधिकारियों के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 दिलावर सिंह ने शेष वारिसान का हिस्सा हडपने के लिए फर्जी व कूटरचित वसीयत तैयार करवाकर सवत्र सिंह के नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि जरिये विरास्तन नामातरण संख्या 161 दिनांक 04.10.1994 को दर्ज करवा लिया। नामातरण की कार्यवाही के दौरान तत्कालीन पटवारी हलका द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट दी गई कि उक्त सम्पति वसीयतकर्ता की स्वअर्जित सम्पति नही है। प्रार्थी सवत्र सिंह के पुत्र सुरजन सिंह की संतान है। सुरजन सिंह का देहान्त हो चुका है। सुरजन सिंह का सवत्र सिंह की प्रश्नगत सम्पति मे से शेष 4 वारिसान के साथ 1/5 हिस्सा बनता है। प्रार्थी द्वार पूर्व में समय-समय पर अप्रार्थी संख्या 1 को इस संबध मे निवेदन किया गया है। कि आपने हमारे पूर्वजों की सम्पति को धोखे से अपने नाम करवा रखी है। जिसमें सवत्र सिंह के शेष वारिसान का भी हक व हिस्सा बनता है तथा आप अपने नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि को सवत्र सिंह के शेष वारिसान के नाम उनके हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा देवे, तो अप्रार्थी संख्या 1 टाल-मटोल करता रहा। आज से कुछ दिन पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि को विक्रय करने की फिराक में है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त कृषि भूमि के संबध में रिकॉर्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कथन किये गये कि भगवान सिंह के तीन लडकियां हरकौर, गुरदयाल कौर, छानो व पुत्र सवत्र सिंह, इस प्रकार 4 वारिस थे। भगवान सिह ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त भूम में से 1/2 यानि 35 बीघा भूमि तीनों लडकियों को बहिस्सा बराबर दे दी थी और 35 बीघा भूमि अपने लडके सवत्र सिंह को दे दी थी। गुरदयाल कौर व छानो दोनो बहनों की शादी हुई थी व हरकौर की शादी नहीं हुई थी। इसलिए दोनों बहनों गुरदयाल कौर व छानो ने अपना हक हरकौर को छोड दिया। वादग्रस्त आराजी मुझ अप्रार्थी को विरास्तन प्राप्त नहीं हुई है। मुझ अप्रार्थी को भूमि मेरे पिता द्वारा जरिये वसीयत से प्राप्त हुई हैं। इसलिए वसीयत से प्राप्त हुई भूमि जद्दी जायदाद की तारीफ में नहीं आती है। इसलिए उक्त भूमि में प्रार्थी एंव प्रार्थी के परिवार का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। लिहाजा प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से कोई हक प्राप्त होना है या नही यह तथ्य मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

<u>2.सुविधा का संतुलन</u>:- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण धटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। सवत्र सिंह के द्वारा अप्रार्थी दिलावर सिंह के हक में करवाई गई वसीयत कूट रचित है या वैध है। यह साक्ष्य का विषय हैं। जो मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। लिहाजा प्रार्थी सुविधा के संतुलन को अपने पक्ष में साबित करने पूर्णतया सफल रहा है।

<u>3.अपूरणीय क्षति</u>:- चूंकि पूर्व विवेचित दोनो बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों बिन्दू प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में अस्थायी व्यादेश नहीं दिया जाता तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

[illegible]

[illegible] धारा 212 [illegible]

-आदेश-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में [illegible] धारा 212 [illegible] अधिनियम, 1953 [illegible] अस्थाई आदेश [illegible] स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश [illegible] जारी किया जाता है कि वे ग्राम 11 [illegible] की [illegible] सम्वत 2076 [illegible] के खाता संख्या 131 [illegible] के गाटा नम्बर 26, 30 व खाता संख्या 20/18 के गाटा नम्बर 11, 34, 47, 48, 60, 51, 60/41, 60/42 तथा खाता संख्या 118/18 के गाटा नम्बर 26 की आराजी के [illegible] निर्माण से [illegible] परिवर्तन न करें एवं न ही उक्त आराजी का बैनामा, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें [illegible] नम्बर से [illegible] के साथ संलग्न हो।

(कुमार [illegible])
सहायक कलक्टर [illegible] अधिकारी
[illegible]

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को मेरे द्वारा [illegible] हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(कुमार [illegible])
सहायक कलक्टर एवं [illegible] अधिकारी
[illegible]